प्रेस नोट दिनांक 09.09.2024

थाना बबुरी जनपद चन्दौली

थाना बबुरी पुलिस टीम द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के गहन पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना बबुरी अनिल कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में बबुरी पुलिस द्वारा वांछित अपराधियो/वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय श्रीमान अपर न्यायिक मजि0 चकिया चन्दौली द्वारा निर्गत एनबीडब्लू मु0नं0 80/2019 सरकार बनाम लक्ष्मण बगै0 धारा 323/325 भादवि थाना बबुरी में एनबीडब्लू अभियुक्तगण 1. फागु पुत्र बिरबल 2. सन्ता उर्फ सन्तगुरु पुत्र बदलू 3.लक्ष्मण पुत्र शोभू 4. महेश पुत्र फागू समस्त निवासीगण ग्राम रघुनाथपुर थाना बबुरी जनपद चन्दौली को उनके घर से मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1.फागू पुत्र बिरबल उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना बबुरी जनपद चन्दौली
2.सन्ता उर्फ संन्त गुरु पुत्र बदलू उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना बबुरी जनपद चन्दौली
3 लक्ष्मण पुत्र शोभू उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना बबुरी जनपद चन्दौली
4.महेश पुत्र फागू उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना बबुरी जनपद चन्दौली ।

अपराध विवरण वारंटी-

एनबीडब्लू मु0नं0 80/2019 सरकार बनाम लक्ष्मण बगै0 धारा 323/325

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1अनिल कुमार पाण्डेय प्र0नि0 थाना बबुरी जनपद चन्दौली ।
2.विभूति नरायण राय नि0अपराध थाना बबुरी जनपद चन्दौली ।
3.उ0नि0 मु0असलम शाह थाना बबुरी जनपद चन्दौली ।
4.उ0नि0 श्री रामअवध यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली ।
5.उ0नि0 श्री बृजकिशोर राय थाना बबुरी जनपद चन्दौली ।
6.हे0का0 विरेन्द्र यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली
7.का0 मोहित सोनकर थाना बबुरी जनपद चन्दौली ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.09.2024
थाना धानापुर, जनपद चन्दौली

थाना धानापुर पुलिस द्वारा चोरी के सामान लैपटाप, मोबाईल, इनवर्टर, बैटरी, मोबाईल, चार्जर, माऊस, डाटा केबल आदि के साथ 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.08.2024 को थाना धानापुर अन्तर्गत ग्राम शहीदगांव स्थित मोबाईल की दुकान में रात्रि में चोरों द्वारा घुसकर दुकान के अन्दर रखे लैपटाप, इनवर्टर, बैटरी, मोबाईल, चार्जर, नगद आदि चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 0152/2024 धारा 305, 331(3) बी.एन.एस. का अभियोग बनाम अज्ञात के पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित थी

पुलिस कार्यवाही-
पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष प्रशान्त कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मु.अ.सं. 0152/2024 धारा 305, 331(3) बी.एन.एस. से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों को कमालपुर की तरफ से आ रहे खड़ान मोड़ के पास गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनाँक 27.08.2024 को रात्रि में धानापुर बाजार से शराब पीकर वापस आ रहे थे तो शहीदगाँव मे बारिश तेज होने लगी। वे दोनों भीगने से बचने के लिए एक जगह रुक गये। उन दोनों द्वारा चारो तरफ अन्धेरा हो जाने पर मोबाइल की दुकान मे चोरी की योजना बनाई गई। मोबाइल फोन की दुकान का ताला व लाकरों को तोड़कर उसमे जो भी सामान मिला चोरी कर लिये। चोरी किये गये सामानों में बैटरी, इनवर्टर, चार्जर ,ईयर फोन, लैपटाप, मोबाइल, माऊस, डाटा केबल आदि सामान थे तथा कुछ फुटकर रुपयें भी थे। उन लोगों ने जो सामान चुराया था वह सभी अपने घर पर छिपा कर रखा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1-प्रदीप कुमार पुत्र रामता प्रसाद निवासी कमालपुर थाना धीना जनपद चन्दौली
2-पवन कुमार पुत्र स्व0 चन्द्रिका राम निवासी ग्राम चिलबिली थाना धीना जनपद चन्दौली

अभियुक्तगण के पास से बरामदगी का विवरण-
1-एक बैटरी 150AH Live fast maxxima (ट्यूबलर बैट्री)
2-एक इनवर्टर ल्यूमिनस नीला रंग
3-एक लैपटाप HP कम्पनी
4-एक लैपटाप चार्जर

5-तीन कीपैड मोबाईल फोन

6-एक माऊस

7-दो इयर बड (ब्लूटूथ ईयरफोन)

8-दो मेमोरी कार्ड

9-आठ ईयरफोन भिन्न भिन्न कम्पनी

10-पांच डाटा केबल छोटा

11-पंद्रह डाटा केबल बड़ा

12-चौदह काला तार सहित चार्जर भिन्न भिन्न कम्पनी का

13-छः चार्जर सफेद रंग का

14- 170 रूपये नगद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रशान्त कुमार सिंह -थानाध्यक्ष थाना धानापुर जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय चौकी प्रभारी भदांहू थाना धानापुर जनपद चन्दौली

3.हे0का0 संजय सोनकर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

4.हे0का0 सुरेश यादव थाना धानापुर जनपद चन्दौली

5.हे0का0 मनोज- थाना धानापुर जनपद चन्दौली

6.का0 महेश तिवारी थाना धानापुर जनपद चन्दौली

7.का0 अमित कुमार थाना धानापुर जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 09.09.2024
थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

◆थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा 01 मोटरसाइकिल पर 74 पाऊच व 44 शीशी अवैध देशी शराब (मात्रा लगभग 23.600 लीटर) लादकर ले जा रहे 02 शातिर शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार

◆ बरामद शराब की कुल मात्रा 23.600 लीटर (अनुमानित कीमत लगभग 10,000/- रूपये)

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अवैध शराब तथा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेशो व निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व मे थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर काजीपुर नहर के पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियो के कब्जे से जूट के बोरे मे लदा 74 पाऊच देशी शराब व 44 शीशी देशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पर मु.अ.सं. 163/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-
1.पिन्टू कुमार बिन्द पुत्र सुद्धू बिन्द निवासी ग्राम केशरी थाना चाँद , जनपद भभुआ बिहार
2.अभिषेक सिंह पुत्र विपिन बिहारी सिंह निवासी छोटका अमाँव थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार ।

बरामदगी का विवरण-
1- 74 पाऊच पावर हार्स देशी शराब ।
2- 44 प्लास्टिक शीशी देशी शराब ।
3- 01 पल्सर मोटरसाइकिल नम्बर BR45R7641

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण–
1.मुकेश तिवारी- प्रभारी निरीक्षक थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।
3.हे.का. जयप्रकाश सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।
4.का0 धनन्जय यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

❖थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे 10 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 02 शातिर पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व मे थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे 10 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 02 शातिर पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराहियान को चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप में कुछ गोवंशो को क्रूरता पूर्वक बाँधकर वध हेतु इलिया की तरफ से बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा चौकी धरौली के सामने से बिहार बार्डर जाने वाले रास्ते राजा बाजार चौराहे के पास सघन चेंकिग के दौरान एक पिकअप पंचर होने के कारण अनियंत्रित होकर चौराहे पर बने चबुतरे से टकरा गयी। उक्त वाहन को छोड़कर चालक सीट व बगल में बैठा व्यक्ति गाड़ी से उतर कर भागने लगे जिन्हे मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया। वाहन की तलाशी के दौरान वाहन से 10 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 162/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग कोराव, जनपद प्रयागराज से गोवंशीय पशु को लादकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाने की फिराक में थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मोती पटेल पुत्र स्व0 रामदेव निवासी केशरीपुर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 35 वर्ष,

2.अनूप पुत्र सोनू राजभर निवासी केशरीपुर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. 10 राशि गोवंश (06 बछिया , 02 गाय , 01 साड़ व 01 राशि बैंल)
2. एक पिकअप वाहन संख्या (UP65JT0125)
3. नकदी- 1500 रूपये

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –

1.निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी- प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.उप निरीक्षक- विजय प्रताप सिंह चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली।

3.हे.का. अशोक सोनकर थाना सैयदराजा चन्दौली।

4.का0 सुनील पाण्डेय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.09.2024
थाना धानापुर, जनपद चन्दौली

थाना धानापुर पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पूर्व की घटना- थाना स्थानीय अन्तर्गत ग्राम हांसीपुर में दिनांक 06.02.2024 को दो चोरों द्वारा घर में घुसकर घर के अन्दर डिब्बे में रखे 2000 रूपये नगद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 0018/2024 धारा 380,457 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। चोरी करने वाले दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जितेन्द्र यादव को पूर्व में चोरी के रूपयों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस कार्यवाही-
पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष प्रशान्त कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रामअजोर यादव मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र कल्लू उर्फ इरशाद निवासी ग्राम कस्बा धानापुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-
सद्दाम पुत्र कल्लू उर्फ इरशाद निवासी कस्बा धानापुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु.अ.सं. 47/2019 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना धानापुर जनपद चन्दौली
2. मु.अ.सं. 18/2024 धारा 380,457,411 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1.उ0नि0 रामअजोर यादव- थाना धानापुर जनपद चन्दौली
2.हे0का0 संजय कुमार- थाना धानापुर जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 09.09.2024
थाना धानापुर जनपद चन्दौली

थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा मैजिक वाहन से वध हेतु ले जा रहे 03 राशि गोवंश के साथ 02 शातिर गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में पशु तस्करी की रोकथाम व पशु तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रशान्त कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्रीकृष्ण सिंह मय पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना के आधार पर 01 मैजिक वाहन से क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 03 राशि गोवंश के साथ 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-

थाना धानापुर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक टाटा मैजिक वाहन से गोबंशों को लादकर वध हेतु बिहार की तरफ ले जा रहा है। जिसे पैशन प्लस मोटर साइकिल से एक व्यक्ति पास करा रहा है। जो नैढ़ी गांव की तरफ से धानापुर के रास्ते जमनिया रोड से बिहार ले जाएगे। धानापुर पुलिस टीम द्वारा सीता पोखरी बजार से पहले करी मार्ग के पास मोटर साइकिल चालक को रोकने का प्रयास किया गया कि चालक मोटर साइकिल छोड़कर भागने का प्रयास किया। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके मोटरसाइकिल चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। सड़क पर मोटरसाईकिल गिरने के कारण रास्ता अवरूद्ध हो जाने के कारण मैजिक वाहन को चालक सहित रोककर पकड़ लिया गया।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वाहन स्वामी व चालक मिलकर गोवंशों को लादकर बिहार ले जाते है। वहाँ से बिक्री करने पर जो भी मुनाफा होता है उसे आपस में बांट लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. जितेन्द्र कुमार यादव उर्फ दुर्गेश पुत्र स्व0 हनुमान यादव नि0 ग्राम गजेन्द्रपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली
2. सुनील कुमार विन्द पुत्र स्व0 रामपति बिन्द निवासी ग्राम कवईपहाड़पुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली
3.

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 158/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना धानापुर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्रीकृष्ण सिंह- थाना धानापुर जनपद चन्दौली
2-का0 रविप्रकाश गुप्ता- थाना धानापुर जनपद चन्दौली

◈थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे 09 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 02 शातिर पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चन्दौली गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व मे चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे 09 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 02 शातिर पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- दिनाँक-08.09.24 को उ0नि0 श्री रावेन्द्र सिंह मय हमराह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि नीले रंग की एक पिकअप जिसको हरा रंग के पर्दे से ढक कर जिसमें कुछ गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांधकर ताराजीवनपुर होते हुये बिछियां अण्डर पास से बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा भगवानपुर नहर पुलिया डायवर्जन रोड पर घेराबंदी कर एवं आने वालों ट्रको से जाम लगवाते हुये ट्रैफिक धीरे धीरे छोडा जाने लगा कि कुछ ही देर बाद उक्त नम्बर प्लेट BR44 GA 5667 की पिकअप जाम में आकर फंस गयी। चेकिंग कर रही पुलिस टीम द्वारा संदिग्धता के आधार पर पिकअप को घेराबन्दी कर रोक लिया गया । वाहन की तलाशी के दौरान वाहन से 09 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 02 शातिर पशु तस्करो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय चन्दौली पर मु0अ0स0 216/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अघि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा पूछताछ में बताया गया कि बह और वाहन चालक सत्येन्द्र जलालपुर से लादकर हाईवे के रास्ते बनारस गिलट, बाजार से , पडाव होते हुए मुगलसराय से, ताराजीवन के रास्ते बिछिया हाइवे से होकर बिहार जाते है। जहां हम लोग इनको कन्टेनरों में भरकर वध हेतु पश्चिम बंगाल पण्डुआ ले जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.सत्येन्द्र यादव पुत्र राजेश यादव निवासी छोटू सराय थाना मुगलसराय जिला चन्दौली

2.सत्येन्द्र यादव उर्फ सोनू पुत्र राकेश यादव नि0 नादी निदौरा थाना बलुआ जिला चन्दौली

पंजीकृत मु0अ0सं0-

1.मु0अ0स0 216/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अघि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना व जिला चन्दौली

बरामदगी का विवरणः-

1.एक पिकप वाहन सं0 BR44GA5667

2.09 राशि गोवंश (06 राशि गाय, 02 राशि साड़,01 राशि बछड़ा)

3. 02 मोबाइल (VIVO कम्पनी)

4.नकदी- 250 रु0/-

गिरफ्तारी टीम का विवरण –

1.श्री गगन राज सिंह प्र0नि0 चन्दौली ।

2.उ0नि0 रावेन्द्र सिह चौकी प्रभारी मण्डी थाना व जिला चन्दौली ।

3.उ0नि0 श्री राजकुमार तिवारी थाना व जिला चन्दौली ।

4.हे0का0 संतोष कुमार सिंह थाना व जिला चन्दौली ।

5. का0 नीलकमल थाना व जिला चन्दौली।

प्रेस नोट दिनाँक 09.09.2024

जनपद चन्दौली

◆पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन मे चलाया गया वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान

◆विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किये गये कुल 08 वारण्टी/वांछित

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में वांछित/वारन्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा समस्त क्षेत्राधिकारीगण के कुशल पर्यवेक्षण में थाना चकरघट्टा द्वारा 01, थाना धीना द्वारा 02, थाना बलुआ द्वारा 01, थाना चन्दौली द्वारा 01, थाना सकलडीहा द्वारा 01, थाना सैयदराजा द्वारा 02 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया।

◆थाना चकरघट्टा-

प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिह थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली के नेतृत्व में थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा मु0न0 541/2000 धारा 3/5ए/8गोवध निवारण अधि0व 11पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली से सम्बन्धित वारंटी बाबूराम यादव पुत्र रामदेव यादव नि0 ग्रा0 कुबराडीह थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र लगभग 68 वर्ष को आज दिनांक 09/09/2024 को समय करीब 08.15 बजे अभियुक्त उपरोक्त के घर से गिरफ्तार किया गया बाद गिरफ्तारी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता अभियुक्त-

बाबूराम यादव पुत्र रामदेव यादव नि0 ग्रा0 कुबराडीह थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र लगभग 68 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 संतोष कुमार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 रमेश चन्द्र थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

3.का0 रूद्र प्रकाश मिश्रा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

◆थाना चन्दौली-

प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 दुर्गेश यादव मय हमराह द्वारा वारण्टी बुद्धु राम पुत्र स्व0 सुराहु राम निवासी वार्ड नं0 02 शास्त्रीनगर केशवपुर थाना व जिला चन्दौली को उनके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा वारण्टी का नाम–

बुद्धु राम पुत्र स्व0 सुराहु राम निवासी वार्ड नं0 02 शास्त्रीनगर केशवपुर थाना व जिला चन्दौली

अपराध विवरण वारण्टी -

न्यायालय विशेष न्यायाधीश/SC/ST चन्दौली SPCSTN 49/19 सरकार बनाम प्रमोद तिवारी वगै0 धारा 354,506 भादवि 3(1)द,ध SC/ST ACT थाना चन्दौली जिला चन्दौली ता0पे0 17.0.24।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 दुर्गेश यादव थाना व जिला चन्दौली
2. का0 इन्द्रजीत यादव थाना व जिला चन्दौली
3. हो0गा0 रज्जू राम

◆थाना बलुआ-

थानाध्यक्ष बलुआ के नेतृत्व में दिनांक 09.09.2024 को थाना बलुआ पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण -

पीयूष मौर्या पुत्र नखडू मौर्या निवासी ग्राम परभूपुर इटवा थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष सम्बन्धित

अपराध विवरण-

वाद सं 424/2022 धारा 128 सीआरपीसी

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2.व0उ0नि0 शैलेश कुमार यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3.हे0का0 ओमप्रकाश यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

◆थाना सैयदराजा-

प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी थाना सैयदराजा के नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा कुल 02 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.कमरूद्दीन पुत्र जबुल्ला अंसारी निवासी मरूई थाना थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 28 वर्ष,
2.जबुल्ला अंसारी पुत्र स्व0 वाहिद अंसारी निवासी मरूई थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 58 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

अ.सं. 357/26 धारा 504/506 भादवि

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्ष मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
2- हे0का0 जय प्रकाश सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
3 का. प्रशान्त कुमार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
4.का0 अजय पटेल थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

◆थाना धीना-

प्रभारी निरीक्षक धीना रमेश यादव के नेतृत्व में थाना धीना पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

□ वारंटी छोटेलाल राम पुत्र बुद्धू राम निवासी ग्राम करजरा थाना धीना जनपद चनदौली सम्बन्धित न्यायालय एसीजेएम (एस0डी) चन्दौली

अपराध विवरण-

मु0नं0 2572/2017 अ0सं0 52/2017 धारा 323/506 भादवि थाना धीना जनपद चन्दौली

□ वारंटी अंजनी राम पुत्र बुद्धू राम निवासी ग्राम करजरा थाना धीना जनपद चनदौली सम्बन्धित न्यायालय एसीजेएम (एस0डी) चन्दौली

अपराध विवरण-

मु0नं0 2572/2017 अ0सं0 52/2017 धारा 323/506 भादवि थाना धीना जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 उ0नि0 राम कुंवर मिश्रा

3.हे0का0 चन्दन गिरी

4.का0 चा0 अजीत प्रचेता।

◆थाना सकलडीहा-

थानाध्यक्ष सकलडीहा संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को उसके घर ग्राम फुल्ली से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पता गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

उपेन्द्र पाल पुत्र फेकू पाल निवासी ग्राम फुल्ली थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 36 वर्ष

सम्बन्धित अभियोग-

मु0न0 124/2006 अ0सं0 34/03 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राणा प्रताप यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.का0 शब्बीर अहमद कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

3.का0 मनीष यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक-09.09.2024
(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1550 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 02.101993 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.असहर अली पुत्र मुहम्मद अली निवासी म0नं0 322 मोहल्ला अरवपुर थाना कोतवाली जिला फतेहपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 319/1993 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-09.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1. असहर अली पुत्र मुहम्मद अली निवासी म0नं0 322 मोहल्ला अरवपुर थाना कोतवाली जिला फतेहपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 1550 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-09.09.2024
(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सी.डि.)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 30.06.2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध नि.अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.जितेन्द्र पुत्र अर्जुन राम बिन्द निवासी कवई पहाडपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 78/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध नि.अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना धीना के पैरोकार मुख्य आरक्षी राम प्रवेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-09.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सी.डि.)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.जितेन्द्र पुत्र अर्जुन राम बिन्द निवासी कवई पहाडपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-09.09.2024
(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली)द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को न्यायाल उठनें तक की सजा व 1000-1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 21.09.1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मो0 वसीम पुत्र मो0 रफी निवासी मउ अतवारा थाना जगदीशपुर जिला अमेठी 2.निसार अली पुत्र बन्दे अली निवासी कटका थाना रामनगर जिला वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 241/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-09.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.मो0 वसीम पुत्र मो0 रफी निवासी मउ अतवारा थाना जगदीशपुर जिला अमेठी 2.निसार अली पुत्र बन्दे अली निवासी कटका थाना रामनगर जिला वाराणसी को न्यायाल उठनें तक की सजा व 1000-1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यातायात पुलिस

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 09.09.2024 को कुल 81 वाहनों का चालान करते हुए 92,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 81 वाहनों का चालान करते हुए 92,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-07

2 बिना इंश्योरेन्स के वाहन चलाना-06

3. बिना हेलमेट-27

4. नो पार्किंग-28

5. गलत दिशा में वाहन चलाना-08

6. गलत नंबर प्लेट- 02

7. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना - 02

8. अन्य- 01

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 09.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-81

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-92,000/- रूपयें।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक-09.09.2024

◆आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली की नयी पहल, जनपद की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने व अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में बैरियर लगाकर निरंतर चेकिंग हेतु जारी किये निर्देश

◆एक सप्ताह के लिए अस्थाई बैरियर लगाकर की जाएगी चेकिंग, स्थान बदल-बदलकर विभिन्न प्वाइंट पर की जाएगी लगातार चेकिंग

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में संदिग्धों व अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में एक सप्ताह के लिए प्वाइंट निर्धारित करते हुए बैरियर लगाकर चेकिंग कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्धारित स्थान पर लगे बैरियर अस्थाई रहेंगे तथा समय समय पर इनके स्थान को बदरल कर थानाक्षेत्र के अन्य स्थानों पर चेकिंग कराई जाएगी। जहां पर लगातार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जाएगी।

इसी क्रम में थाना चन्दौली में-03,थाना सैयदराजा-01,थाना कन्दवा-01, थाना मुगलसराय-01, थाना अलीनगर-03, थाना बबुरी-03, थाना सकलडीहा-01,थाना बलुआ-03, थाना धानापुर-01,थाना धीना-03,थाना चकिया-02,थाना शहाबगंज -01,थाना इलिया-01,थाना नौगढ़-02, व थाना चकरघट्टा-02 स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही।

प्रेस नोट दिनांक- 09.09.2024
जनपद चन्दौली

◈ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

◈ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 27 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 09.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 27 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।